UPAG010067852026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01906

जमानत प्रार्थना पत्र सं0: 2940/2026

प्रताप तोमर पुत्र महावीर सिंह निवासी– हाकिमपुरा, थाना मलपुरा, जनपद आगरा उम्र करीब 26 वर्ष

.....अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 257/2026
धाराः 190,191(2),193(3),131,115(2),
110,109,352,351(3),229
भारतीय न्याय संहिता व
3/25/27 आयुध अधिनियम
थानाः मलपुरा जिला आगरा।

दिनांक 10.07.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त प्रताप तोमर की ओर से मु0अ0सं0 257/2026 अन्तर्गत धारा 190,191(2),193(3),131,115(2), 110,109,352,351(3),229 भारतीय न्याय संहिता व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना मलपुरा आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के भाई पवन द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र हैं, कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अभियुक्त की घटना में कोई संलिप्तता नहीं है। घटना में किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आई है। अभियुक्त द्वारा कोई फायर नहीं किया गया है, कथित घ ाटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियुक्त से झूठी बरामदगी दर्शित की

गयी है। वादी एवं अभियुक्त एक ही परिवार के हैं एवं वे अभियुक्त की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी देवेन्द्र कुमार द्वारा थाना मलपुरा, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 04.06.2026 को 01.25 बजे वह अपने पिता भगवान सिंह तथा बेटे कुनाल के साथ अपने गांव हकीमपुरा में अपने खेत में बुवाई करने गये थे, वहां पर उसके चाचा रामेश्वर अपने खेत की बुवाई करा रहे थे, वे उनके पास जा रहे थे। उसी समय महावीर, सुरेन्द्र व प्रताप तथा उनके तीन साथी वहां पर आये एवं सभी लोगों ने एक नीयत होकर अचानक उन लोगों पर हमला किया, जिसमें से सुरेन्द्र ने उसके पिताजी को जान से मारने की नीयत से देशी कट्टे से फायर कर दिया, उससे बचने के लिए उसके पिताजी झुक गये, उसी समय प्रताप सिंह ने उसके पिताजी पर लाठी, डण्डों एवं सरियों से हमला कर दिया तथा पीटना शुरू कर दिसया, जिससे उसके पिता के सिर पर गंभीर चोट आई। वे मौके पर बेहोश हो गये। उसके बाद वे सभी लोग गाली गलौज करने लगे तथा जाते समय जान से मारने की धमकी दे गये। वह अपने पिताजी को लेकर पहले मिलट्री हॉस्पीटल लेकर गये, वहां से उन्हें उपाध्याय हॉस्पीटल राजपुर चुंगी के लिए रैफर कर दिया गया।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना मलपुरा, आगरा पर मु0अ0सं0 257/2026 अन्तर्गत धारा 191(2),109, 131, 115(2),110,352,351(3) भारतीय न्याय संहिता में प्राथमिकी दर्ज की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), आगरा एवं वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के पिता को जान से मारने की नीयत से मारपीट करते हुए गंभीर प्रकृति की चोटें पहुंचाई गयी हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों एवं पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के मध्य यह निर्विवादित तथ्य है कि तथाकथित आग्नेयास्त्र के फायर से वादी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आई है।

चुटैल भगवान सिंह द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में कहा गया है कि उस पर सुरेन्द्र सिंह तमंचे से फायर कर दिया, वह थोड़ी दूर भागकर गिर गया तो गिरे हुए पर प्रताप ने उसे लोहे की रॉड से मारा, वह वहीं बेहोश हो गया। उसे उसके बाद मिलट्री हॉस्पीटल में होश आया, जब उस पर फायर हुआ तो वह पीछे मुड़कर भागा तो उसका फोन एवं पैसों का बैग वहीं खेत पर गिर गया। उसके केवल सिर एवं बांये हाथ में चोट है, अन्य चोट नहीं है।

केस डायरी में संलग्न मिलिट्री हॉस्पीटल, आगरा के चिकित्सीय प्रपत्र के अनुसार चुटैल भगवान सिंह को दिनांक 04.06.2026 को समय 15.15 बजे दिन में भर्ती कराया गया, उसके सिर एवं दांई कलाई के जोड़ पर चोट सहित कुल तीन चोटें पाई गयीं। चुटैल के सिर की सी0टी0स्केन रिपोर्ट के अनुसार उसके सिर की चोट में कोई फ्रैक्चर अथवा रक्तश्राव आदि नहीं पाया गया। यद्यपि चुटैल भगवानसिंह के सीने की सी0टी0 स्केन रिपोर्ट केस डायरी पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार चुटैल के दांई ओर की तीसरी से लेकर आठवीं पसली में पुराना भरा हुआ फ्रैक्चर पाया गया।

तत्सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि चुटैल भगवान सिंह को प्रथम अस्पताल, मिलिट्री हॉस्पीटल में भर्ती कराये जाने पर उसके सीने पर कोई भी चोट नहीं पाई गयी। इसके अतिरिक्त चुटैल द्वारा विवेचक को दिये गये बयान में भी उसके सिर एवं कलाई पर चोट आना कहा गया है, सीने पर कोई भी चोट आना नहीं कहा गया है।

इस स्तर तक उपलब्ध प्रपत्रों में चुटैल के सिर के सी0टी0स्केन रिपोर्ट के अनुसार उसके सिर में कोई फ्रैक्चर आदि नही पाया गया है, न ही तत्सम्बन्ध में कोई पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या ही केस डायरी पर उपलब्ध है, जिसके आधार पर चुटैल भगवान सिह की चोटों को गंभीर अथवा प्राणघातक प्रकृति की होने का समाधान किया जा सके। पक्षगण के एक ही परिवार के सदस्य एवं उनके मध्य भूमि को लेकर विवाद होना कहा गया है। यह भी निर्विवादित है कि अभियुक्त को कथित घटना के समय, घटनास्थल से नहीं पकड़ा गया है। यद्यपि अभियुक्त के पास से कथित तमंचा बरामद होना कहा गया है, परन्तु कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। आवेदक/अभियुक्त इस प्रकरण में दिनांक 05.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का अन्य कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

तदैव मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत हेतु पर्याप्त आधार हैं एवं आवेदक/अभियुक्त प्रताप तोमर का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **प्रताप तोमर** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त **प्रताप तोमर** द्वारा **मु0 50,000/–रू0** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये ।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा
10.07.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.07.10 15:54:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court